लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

S NO.-2023/659

ल नम्बर–96 / 2023

ीमति भंवरी बाई उर्फ भूरी बाई पत्नि स्वर्गीय श्री किशनलाल आयु 63 वर्ष जाति लश्करी निवासी मैन रोड खारी बावड़ी मालाफाटक कोटा जंक्शन कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री किशनलाल आयु 36 वर्ष जाति लश्करी

2.श्रीमति कृष्णा देवी पत्नि श्री मनोज कुमार आयु 28 वर्ष जाति लश्करी निवासीगण मैन रोड खारी बावड़ी मालाफाटक कोटा जंक्शन कोटा

अप्रार्थी

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 17/8/24

उपस्थिति:–

1.श्री धीरेन्द्र पाल सिह प्रार्थीया अधिवक्ता

2.श्री दिनेश लोदी अधिवक्ता अप्रार्थीगण ।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया एक 63 वर्षीया वृद्ध एवं विधवा एवं निरक्षर महिला है, तथा खारी बावड़ी कोटा में निवास करती है, तथा उसके एक मात्र पुत्र व पुत्री है। प्रार्थीया के पति की मृत्यु आज से करीव 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है, तथा उसके बाद प्रार्थीया ने मेहनत मजदूरी करके तथा दूसरे के घर पर झाडू–पोंछा करके अपने मकान का निर्माण करवाया, जिसकी वह एक मात्र रजिस्टर्ड ऑनर एवं स्वामी है। प्रार्थीया ने जमा पूंजी इक्ट्ठा करके अपने एक मात्र पुत्र प्रतिपक्षी क्रम 1 का विवाह प्रतिपक्षी क्रम 2 के साथ आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व करवाया, विवाह के कुछ समय पश्चात तो प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 का व्यवहार प्रार्थीया के प्रति ठीक रहा, लेकिन उसके पश्चात दोनों का व्यवहार प्रार्थीया के प्रति बदल गया, प्रतिपक्षीगण आये दिन प्रार्थीया के साथ लडाई– झडा करते, तथा प्रार्थीया को खाना नहीं देते, और अलग मकान बनाकर देने की कहते, इससे तंग आकर प्रार्थीया ने शांति से निवास करने के लिये प्रतिपक्षीगण को अपने मकान के बाहर दो कमरे बनवाकर दिये, तथा उसकी रजिस्ट्री भी अपने नाम करवाने की नगर निगम को सहमति प्रदान कर दी। प्रतिपक्षीगण कुछ दिन तो शान्त रहे, लेकिन उसके पश्चात वापस उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, और उन्होने प्रार्थीया के मकान पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थीया के साथ मारपीट मकान में घुस गये, तथा प्रार्थीया को खाना देना बन्द कर दिया। प्रार्थीया एक वृद्ध एवं विधवा महिला है, जिसे आखं से भी कम दिखाई देता है, तथा प्रार्थीया अब मेहनत मजदूरी करके भी अपना जीवन यापन नहीं

उपखण्ड अधिकारी

को।

...क्षी क्रम 1 प्रार्थीया का एक मात्र इकलौता पुत्र है, तथा उस पर प्रार्थीया ने ... सारी जमा पूंजी खर्च कर दी. ताकि वह प्रार्थीया के बुढापे का सहारा बने, ... द्वारा न तो प्रार्थीया को खाना दिया जा रहा है, तथा ना ही वृद्धावस्था में ...पालन–पोषण किया जा रहा है, जबकि प्रतिपक्षी क्रम 1 के पास स्वयं का ऑटो ... जिसको वह चलाता है तथा पुताई का ठेकेदार है, तथा अपने घर में किराने की ...गा रखी है, जिससे प्रतिपक्षी क्रम 1 को लगभग 50,000/– रूपये मासिक की आय ... फिर भी वह प्रार्थीया की वृद्धावस्था में प्रार्थीया का भरण– पोषण नहीं कर रहा है, ...प्रार्थीया को खाना भी नहीं दे रहा है। प्रतिपक्षीगण द्वारा आये दिन प्रार्थीयां के साथ ...ाट की जाती है, और प्रार्थीया को खाना भी नहीं दिया जाता है, तथा कहा जाता है कि ... तक प्रार्थीया अपने मकान को भी उनके नाम नहीं कर देती, वो ना तो उसको खाना देगें, ...ओर ना ही उसका कोई ध्यान रखेगें। इस प्रकार प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया का कोई भरण–पोषण नहीं करते हैं, तथा कोई सेवा–सुश्रुषा नहीं करते है, प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर रखा है तथा प्रार्थीया के मकान को खुर्द– बुर्द करने पर आमादा है। प्रतिपक्षीगण के उक्त क्रुरतापूर्वक व्यवहार से प्रार्थीया तंग आ चुकी है, इस कारण प्रार्थीया माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिपक्षीगण को प्रार्थीया के मकान से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करना एवं भरण–पौषण दिलवाया जाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिये प्रार्थीया माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रही है। प्रार्थीया एक 63 वर्षीय वृद्ध महिला है, तथा प्रार्थीया के पास अपने भरण–पोषण के लिये आय का कोई साधन नहीं है, तथा प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीया को उसी के मकान के उपयोग–उपभोग करने से वंचित कर रखा है, तथा प्रार्थीया की सम्पति मकान पर कब्जा कर रखा है, तथा न तो प्रार्थीया का भरण–पोषण करते है, और न ही प्रार्थीया की कोई देखभाल करते है, जिसके कारण को अपना जीवन निर्वाह करना दुश्वार हो गया है, इसलिये प्रार्थीया प्रतिपक्षीगण से अपने जीवन निर्वाह हेतु भरण–पोषण राशि 20,000/ – रूपये मासिक प्राप्त करने एवं अपने मकान खाली करवाया जाना आवश्यक हो गया है. ताकि प्रार्थीया अपने मकान में किरायेदार रखकर किराये से प्राप्त आमदनी से अपना गुजारा कर सके, तथा प्रतिपक्षीगण का दायित्व है कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया की इस वृद्धावस्था में प्रार्थीया का भरण–पोषण करे, किन्तु प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया का भरण–पोषण नहीं कर रहे है, इस कारण प्रार्थीयां प्रतिपक्षीणण से अपने भरण–पोषण के लिये प्रतिपक्षीगण से 20,000/– रूपये मासिक भरण – पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी है, जिसके लिये प्रार्थीया माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थनापत्र, प्रस्तुत कर रही है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षीगण से प्रार्थीया के मकान का कब्जा दिलवाया जावे, तथा प्रतिपक्षीगण से प्रार्थीया के भरण–पोषण के लिये प्रत्येक प्रतिपक्षीगण से 20,000/– रूपये मासिक भरणं–पोषण राशि दिये जाने बाबत आदेश प्रदान करने की अनुकम्पा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित कर तलब किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया को आखो से स्पष्ट दिखाई देता है यहां तक की शारीरिक दृष्टि से भी कमजोर नहीं है, प्रतिपक्षी प्रार्थिया का पुत्र होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थिया का सहारा न बनना आर भरण पोषण न करना यह सभी कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रति0 न० 1 ऑटो चलाता है यह ऑटो भी मासिक किश्तो पर कर्ज पर लियां हुआ है, ठेकेदारी का कोई काम नहीं करता है ऑटो के कर्ज की मासिक किश्त 6,980/–रूपये प्रतिमाह अदा करता है, इसके अतिरिक्त प्रति० को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोल...

उपखण्ड अधिकारी
को...

...ी प्रति० न० 2 व संतानो का लालन–पालन, शिक्षा–दीक्षा, ईलाज आदि पर भी आ...
...वाली छोटी से कमाई मात्र 15 से 17 हजार रूपया प्रतिमाह मे से ही करना होता है
अलावा अन्य कोई आय किसी मद से नहीं होती है 50 हजार रूपया मासिक आय का
...न अस्वीकार है। प्रार्थिया के साथ प्रति० ने कभी कोई मारपीट नही की है प्रति०गण
...र्थिया को समय समय पर दोनो वक्त का खाना बनाकर देते है, चाय–नाश्ता भी समय पर
...ते है और आज भी देते है ओर भविष्य में भी समय समय पर लालन–पालन, भरण पोषण की
व्यवस्था की जाती रहेगी, प्रतिपक्षीगण प्रार्थिया को इस बात के लिये भी निवेदन करते है कि
वो वृद्ध है किसी भी जगह कोई मजदूरी करने को नहीं जाये, घर पर आराम से रहें, लेकिन
प्रार्थिया जानबूझकर झाडू पोछा व अन्य मजदूरी को जाती है ताकी प्रतिपक्षीगण की समाज में
प्रतिष्ठा खराब हो, समाज के लोग ताने मारे की बेटा–बहू वृद्धजन का ध्यान नहीं रखते होंगे
इसलिये वृद्धा को झाडू पोछा लगाना जाना पड रहा है जबकि ऐसा नहीं हैं। प्रतिपक्षीगण
मकान को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करना चाहते है ऐसा प्रश्न कभी मन में भी पैदा
नहीं हुआ है क्योंकि ऐसा क्यों करने लगे, जबकि प्रति० न० 1 वृद्ध माता का इकलोता बेटा है
और जिस सम्पत्ति मकान के बाबत कथन कहा है वो मकान अंततः वृद्धजन के 100 साल पूरे
होने के बाद वैसे ही अधिकार मे आ जावेगा तो वो इस हेतु वृद्ध माता के साथ मारपीट क्यों
करेगा, क्यों उसकी सेवा से परहेज करेगा, बल्कि स्वयं प्रतिपक्षीगण प्रार्थिया की आदतो से तंग
व परेशान है वो बिना किसी वजह के झाडू पोछा लगाने जाती है मजदूरी को जाती है
जबकि उसे मना किया हुआ है, मना करने पर प्रार्थिया प्रतिपक्षीगण को गालियां देती है और
झगडा करने को अमादा हो जाती है इसलिये प्रार्थिया से प्रतिपक्षीगण तंग व परेशान है फिर
भी माता है ऐसे में सभी प्रकार की प्रताडना व परेशानीयों को प्रतिपक्षीगण सहन करते हुये वृद्ध
माता को अपने साथ रखते है उसका ध्यान रखते है समय समय पर खाना व चाय नाश्ता देते
है हारी बीमारी मे ईलाज करवाते है सार–संभाल करते है। प्रतिपक्षीगण ने गीता नाम की
औरत जो महिला ग्रूप के नाम से लोन का काम करती है से 45,000/–रूपये का लोन लेकर
किराने की दुकान लगाई गई। प्रधानमंत्री आवासीय योजना से मकान निर्माण के लिये लोन के
लिये आर्थिक अनुदान के लिये आवेदन किया जो स्वीकृत होने पर 30,000/–रूपये प्राप्त हुये
जिसमें एक कमरा बनवाया, इसके अतिरिक्त प्रति० न0 2 ने बंधन बैंक कोटा से
1,00,000/–रूपये का लोन लिया जिसमें नीवें भरवाई और बावन्ड्रीवाल करवाई, कुछ बचा
उसमे किराना की दुकान में सामान डलवाये गये। प्रति० न० 1 ने एक ई–रिक्शा इलेक्ट्रिक
क्रय करने के लिये प्रति0 न० 1 ने स्वयं के नाम से आर बी एल बैंक से 45,000/–रूपया
लिया बकाया राम किराना की दूकान से बचत करते हुये जमा पूंजी लगाई गई इस प्रकार
उक्त गाडी की मासिक किश्त 6,980/–रूपये जमा कराई जाती है इसके अलावा दुकान के
लिये जो लोन लिया उसकी किश्त 110/–रूपये प्रतिदिन जमा कराये जाते हैं, प्रति० न० 1
अस्थमा व टी पी का मरिज है जिसका ईलाज कराया जा रहा है जिस पर भी उसे खर्चा
करना होता है ऐसी स्थिति में भारी काम की मजदूरी नहीं होती हैं। प्रतिपक्षी नंबर–1 ने एक
लोन 30,000/–रूपये का बैक ऑफ बडौदा से लिया जिसकी मासिक किश्त 1886/–रूपये
जमा होती हैं। प्रतिपक्षी न0 1 ने स्वयं के ईलाज के लिये पडौसी से रकम उधार ली वह भी
प्रति० न0 1 से 300/–रूपये प्रतिदिन जमा कराता हैं। मकान मे जो बिजली कनेक्शन का
बिल आता था वह भी अकेला स्वयं प्रतिपक्षी नंबर–1 जमा कराता चला आ रहा था बावजूद
इसके माता व बहन ने बिजली कनेक्शन की सुविधा हटा देने पर प्रति० न० 2 ने अपने मकान
मे स्वयं के नाम पर नया बिजली कनेक्शन लिया जिसका भुगतान भी स्वयं प्रति० को करना

न्यायालय उपखण्ड ... कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रति0 न० 1 की माता व बहन ने दिनांक 09.12.2023 को माँ व बहन ने मारपीट मे हाथ फ्रेक्चर हो गया इसकी रिपोर्ट एस पी शहर कोटा को दी, दिनांक 28.12.2023 बहन ने प्रति0 न० 2 के साथ भी मारपीट की, इसकी रिपोर्ट भी 28.12.2023 को एस साहब के यहां दी जिस पर भी थाना द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं डाली, इस तरह प्रतिपक्षीगण माता व बहन द्वारा मकान से बेदखल करने, और प्रताडित करने का कृत्य किया जाता चला आ रहा है इसके बावजूद भी प्रतिपक्षीगण माँ को अपने साथ रखने उसका भरण पोषण करने को पूरी तरह से तैयार है यदि वो किसी मजदूरी पर नहीं जावे, घर पर बेठी बेठी आराम से रहे शांति से रहे, किसी प्रकार का गृहक्लेश पैदा न करे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रार्थीया की ओर से दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित मकान से बेदखल करने की चाही गई सहायता दिलाया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है वे उपरोक्त वर्णित मकान मैन रोड खारी बावड़ी मालाफाटक कोटा जंक्शन कोटा में प्रार्थिया के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थिया की सेवा सुश्रुषा एवं आवश्यकतानुसार भरण पोषण की व्यवस्था करे, प्रार्थीया से मारपीट, गाली–गलौच नही करे।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 14/8/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा
उपखण्ड अधिकारी
कोटा